संख्या–2044 / 8–3–2006–48विविध / 2005

प्रेषक,

के.एल.मीना
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2006**

विषय : हाई–टेक टाउनशिप तथा निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं (इन्टीग्रेटेड आवासीय नीति) के विकास हेतु भूमि अर्जन / लैण्ड असेम्बली की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप तथा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा चयनित भूमि के अर्जन / लैण्ड असेम्बली हेतु प्रकिया का निर्धारण शासनादेश संख्या–5457 / 8–3–2005–48विविध / 05 दिनांक 30–12–2005 द्वारा किया गया है।

2– हाईटेक टाउनशिप नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि निजी विकासकर्ता द्वारा यदि भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 अथवा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि का चयन किया जाता है तो उसे बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त हाईटेक टाउनशिप हेतु छोड़ा जा सकता है। इन्टीग्रेटेड हाउसिंग पालिसी में अभिकरण द्वारा चयनित भूमि को छोड़ने के संबंध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट है।

3– अतः शासन द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–5457 / 8–3–2005–48विविध / 05 दिनांक 30–12–2005 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :–

''इन्टीग्रेटेड हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत भी भूमि सम्बन्धित अभिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही छोड़ी जायेगी। इस सम्बन्ध में शेष अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 30–12–2005 के अनुसार ही रहेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

के. एल. मीना

सचिव

संख्या–2044(1)/8–3–2006–48विविध/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

शिवजनम चौधरी

अनुसचिव